झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

आतंकी, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा से पीड़ित नागरिकों के लिए केन्द्रीय सहायता योजना

केन्द्र सरकार की योजना क्या है

योजना के अन्तर्गत तीन लाख रूपया प्रत्येक मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (50% या ज्यादा) की स्थिति में प्रभावित परिवार को दी जाती है। केन्द्र सरकार के सकुर्लर (पत्रांक 11044/11-2011/वीटीवी तिथि 29.06.2012 (22.06.2009 से प्रभावी)) के अनुसार अगर आतंकी, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा से पीड़ित के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाती है तो उसे इस योजना के अंतर्गत राशि नहीं मिलेगी परन्तु अगर इस योजना की सहायता राशि मिलने के बाद नौकरी दी जा चुकी है तब इस योजना की सहायता राशि वापस नहीं ली जायेगी।

योजना का लाभ पाने के लिए अर्हता

1. वित्तीय सहायता पीड़ित के परिवार के सदस्यों को दी जायेगी अगर मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (50% या ज्यादा) आतंकी, नक्सली अथवा साम्प्रदायिक हिंसा में हुई है।
2. पति की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता पत्नी को मिलेगी तथा पत्नी की मृत्यु होने पर या स्थायी अपंगता होने पर पति को वित्तीय सहायता उनके परिवार को मिलेगी।
3. पीड़ित के परिवार को इस योजना का लाभ तब भी मिलेगा, जबकि उन्हें अन्य सहायता भी मिल चुकी हो अनुदान अथवा अन्य रूप में सरकार से। केवल तभी नहीं मिलेगा, जबकि इसी तरह की अन्य केन्द्रीय योजना का लाभ उन्हें मिल चुका हो।
4. केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र व राज्य के लोक उपक्रमों के कर्मचारी अथवा केन्द्र व राज्य के सरकारी संस्थान के कर्मचारी के परिवार को भी तीन लाख रूपया की सहायता राशि मिलेगी अगर आतंकी, नक्सली या साम्प्रदायिक हिंसा में मृत्यु होती है या स्थायी अपंगता होती है।
5. एस०आई०ई० राज्य/जिलों में कुल मुआवजा राशि चार लाख रूपया होगी। (एक लाख रूपया एस०आर०ई० से तथा तीन लाख रूपया इस योजना से)।
6. विदेशी नागरिक तथा अप्रवासी भारतीय को भी इस योजना का लाभ दिनांक 01.04.2008 के प्रभाव से मिलेगा।
7. स्थायी रूप से अपंग पीड़ित तथा नक्सली, आतंकी तथा साम्प्रदायिक हिंसा में मृत के परिवार के सदस्यों को जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत) के द्वारा स्वास्थ्य कार्ड दिया जायेगा जिससे वे उक्त हिंसा में लगे चोटों का तथा अन्य गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज करा सकेंगे। उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि तथा राष्ट्रीय ट्रामा केयर प्रोजेक्ट जैसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं के तहत चिकित्सकीय लाभ भी प्रदान किया जायेगा।
8. केन्द्रीय गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव फाउण्डेशन के द्वारा चलाया जा रहा 'प्रोजेक्ट मदद' के तहत पीड़ित के परिवार को सहायता निरन्तर मिलती रहेगी।
9. पीड़ित अथवा उसके परिवार की आय कुछ भी हो, उन्हें इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा।
10. हिंसा करने वाले अथवा उनके परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
11. अर्हत्ता रखने वाले दावेदार विहित प्रपत्र (एनेक्स्चर - 1) में आतंकी / नक्सली / साम्प्रदायिक घटना के तीन साल के अंदर जिलाधिकारी / राज्य सरकार के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त मामलों में केन्द्र सरकार खुद से अथवा राज्य सरकार की अनुशंसा से समय सीमा को शिथिल कर सकती है।

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता

1. प्रत्येक मृत्यु या स्थायी अपंगता के लिए प्रभावित परिवार को तीन लाख रूपया दिया जायेगा।
2. यह तीन लाख रूपया पीड़ित के परिवार के सदस्यों के नाम से एकल या संयुक्त फिकस्ड डिपॉजिट खाते में जमा किया जायेगा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में। तीन साल का लॉक-इन अवधि होगा जिसे फिक्सड डिपोजिट राशि नहीं निकाली

जा सकेगी। अगर परिवार में अवयस्क सदस्य हों तो लॉक-इन अवधि तीन साल या सबसे बड़े सदस्य के वयस्कता प्राप्त करने तक (जो कि बाद में हो) होगी।

3. फिक्सड डिपोजिट में जमा सहायता राशि का ब्याज प्रत्येक तिमाही लाभुक के बचत खाते में स्थानान्तरित किया जायेगा।
4. लॉक-इन अवधि की समाप्ति पर मूलधन तीन लाख रूपया लाभुक के बचत खाता में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। अगर लाभुक पीड़ित की पति या पत्नी है।
5. लाभुक के मृत्यु पर या स्थायी अपंगता की स्थिति में खाते का संचालन उसका निकटतम संबंधी करेगा।
6. स्थायी अपंगता की स्थिति में पीड़ित खुद ही लाभुक होगा। परन्तु यदि वह खाते का संचालन करने में असमर्थ है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति खाते का संचालन करेगा।

जिला स्तर पर लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया

1. जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी / उपायुक्त करेगें तथा जिला पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास पदाधिकारी तथा राज्य सरकार द्वारा नामित एक पदाधिकारी इसका सदस्य होगें। यह समिति अर्हता की जांच करके लाभुक का पहचान करेगी।
2. दावों का पड़ताल करने के क्रम में जिला स्तरीय समिति पुलिस प्रतिवेदन / एफ०आई०आर० मृत्यु सह अन्त्य परीक्षण रिपोर्ट, स्थायी अपंगता की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र, अवयस्क दावेदा का जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य जरूरी कागजातों का अवलोकन करेगी।
3. स्थायी अपंगता की स्थिति में, जिला चिकित्सा पदाधिकारी के इस आशय के प्रमाण पत्र की जरूरत होगी कि पीड़ित की अपंगता 50% या उससे ज्यादा की है तथा स्थायी प्रकृति की है जिसमें फेरबदल की संभावना नहीं है तथा चोट के कारण पीड़ित सामान्य जीवन नहीं जी सकता है।
4. परिवार में लाभुक का चयन करने में ''निकटतम सम्बंधी'' सिद्धान्त का अनुपालन किया जायेगा।
5. जिला स्तरीय समिति को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि पीड़ित की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता नक्सली / साम्प्रदायिक / आतंकी हिंसा में हुई है तथा लाभुक का चयन इस योजना के अर्हतानुसार किया गया है तथा पीड़ित की मृत्यु अथवा चोट किसी अन्य अपराधिक घटना अथवा प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई है।
6. जिला स्तरीय समिति पीड़ित के दावा प्रस्तुत करने के 15 दिन के अन्दर अपनी अनुशंसा करेगी विहित प्रपत्र (एनेक्सचर - II) में।
7. जिलाधिकारी / उपायुक्त अपने स्तर से भी आयुक्त कारण दर्शाते हुए सहायता की अनुशंसा कर सकते हैं।
8. इस योजना के तहत विचारण की सम्पूर्ण प्रक्रिया लाभ देने हेतु अनुशंसा करने समेत, तीन सप्ताह के अंदर पूरा कर लेना होगा।
9. राज्य सरकार के तरफ से जिलाधिकारी / उपायुक्त स्वीकृत्यादेश जारी करेंगे तथा स्वीकृत्यादेश की एक प्रति राज्य के गृह विभाग को भेजी जायेगी तथा एक प्रति गृह मंत्रालय, भारत सरकार (आई०एस० - II डिविजन) को भेजी जायेगी।
10. जिलाधिकारी / उपायुक्त लाभुक के पक्ष में चेक निर्गत करेंगे। जहाँ तक संभव होगा सहायता राशि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से पीड़ित/लाभुक के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
11. राज्य सरकार इस योजना का गहन प्रचार-प्रसार करेगी। चेक जारी करने के बाद की प्रक्रिया -
    (क) जिलाधिकारी / उपायुक्त लाभुक के पक्ष में फिक्स्ड डिपोजिट खाते में सहायता राशि जमा करेंगे तथा बैंक को निर्देश देगें कि समय पूर्व निकासी नहीं होने दी जायेगी।
    (ख) बैंक को स्थायी निर्देश दिया जायेगा कि ब्याज की रकम प्रत्येक तिमाही लाभुक के बचत खाते में जमा कर दी जाये तथा लॉक इन अवधि पूरा होने पर मूलधन को लाभुक के खाते में जमा कर दी जाये।
12. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया -
    (क) जिलाधिकारी / उपायुक्त के द्वारा इस योजना के तहत सहायता राशि का भुगतान कर देने के बाद, राज्य सरकार प्रत्येक छमाही (30 जून तथा 31 दिसंबर तक) पुर्नभुगतान हेतु ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी।
    (ख) पुर्नभुगतान अंकेक्षण जाँच के आधार पर किया जायेगा तथा 70% राशि का भुगतान तत्काल किया जायेगा तथा 30% की राशि का भुगतान मंत्रालय के आंतरिक अंकेक्षण शाखा के जांच के पश्चात् किया जायेगा।
    (ग) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी लाभुक को लाभ का दोहरा भुगतान न हो। राज्य सरकार यह शपथ पत्र/प्रमाण पत्र देगें कि पुर्नभुगतान किसी दोहरे भुगतान का नहीं मांगा गया है।

(घ) यह संशोधित दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2012-13 से लागू होंगे।

(ङ) अप्रैल 2012 में तथा उसके पश्चात् घटे घटनाओं के संबंध में राज्य सरकार योजना का लाभ पीड़ित को प्रदान करेगें जिसका पुर्नभुगतान गृह मंत्रालय, भारत सरकार करेगा। उससे पूर्व के घटने वाले घटनाओं के बावत जिनका प्रस्ताव अभी तक नहीं भेजा गया है, उनका विचारण भी राज्य ही करेंगे तथा पुनर्भुगतान केन्द्रीय गृह मंत्रालय को भेजे जा चुके हैं। पर अभी तक विचाराधीन है उनका विचारण तथा भुगतान भी राज्य ही करेंगे तथा पुर्नभुगतान केन्द्रीय गृह मंत्रालय करेगा।

जनहित याचिका 2584/2011 (कोरम - आर० भानुमति, मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय का निर्देश :-

- अभी के पश्चात्, जब भी मुआवजा / सहायता के लिए इस योजना के तहत आवेदन दिया जाता है, तब राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दावा आवेदन का विचारण तथा निष्पादन संबंधित जिलाधिकारी / उपायुक्त जिला समिति द्वारा छह माह के भीतर कर लिया जाय।
- राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश एवं केन्द्रीय योजना को गृहसचिव, पुलिस महानिदेशक तथा प्रत्येक उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को प्राप्त करावें जो कि इस प्रेषण प्रत्येक अनुमंडल, अंचल तथा थाना तक करेंगे और अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्य की योजना क्या है

- झारखण्ड राज्य का गठन के पश्चात् राज्य सरकार ने सर्कुलर नं०-3002 तिथि 08.11.2001 जारी किया जिसके तहत नक्सली हिंसा में मृत्यु होने के स्थिति में मुआवजा रूपया दस हजार, अस्थायी अपंगता की स्थिति में मुआवजा रूपया पांच हजार तथा गंभीर चोट की स्थिति में मुआवजा रूपया दो हजार रूपया होगा।
- राज्य सरकार ने सर्कुलर नं०-423 तिथि 16.02.2006 जारी किया है जिसके तहत नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर आश्रित को रूपया एक लाख मिलेगा तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में पीड़ित को रूपया पच्चास हजार मिलेगा तथा गंभीर चोट की स्थिति में लाभुक को रूपया दस हजार मिलेगा। यह योजना 16.02.2006 तथा उसके बाद घटे घटनाओं के बावत प्रभावी है।

दावा हेतु विहित प्रपत्र - एनेक्स्चर - 1

साम्प्रदायिक /आतंकी / नक्सली हिंसा से पीड़ितों / पीड़ितों के परिवार को सहायता के लिए आवेदन पत्र

पीड़ित का फोटो

लाभुक का फोटो

भाग - क

(बड़े अक्षरों में भरा जाये)

(क) पीड़ित का विवरण

1. नाम : .....
2. उम्र : .....
3. पेशा : .....
4. पेशा : .....
5. पिता का नाम : .....
6. माता का नाम : .....
7. पता : .....
8. पहचान के प्रमाण : .....
9. हिंसा का पीड़ित पर प्रभाव (कृपया चिन्हित करें) : मृत्यु / स्थायी अपंगता (50% या ज्यादा)
10. अगर 50% या ज्यादा की स्थायी अपंगता है तो अपंगता की डिग्री (%) : .....

* स्पष्ट लिखें कि पीड़ित सेना या पुलिस सेवा में है या नहीं।

भाग - ख

(ख) पीड़ित परिवार के सदस्यों का विवरण :

क्रम संख्या	नाम	लिंग	उम्र	पिता/पति का नाम	पीड़िता से संबंध

(ग) लाभुक का विवरण :

1. नाम : .....
2. उम्र (जन्म तिथि) : .....
3. लिंग : .....
4. लाभुक का पेशा (यदि पीड़ित पर आश्रित है) : .....
5. पिता का नाम / पति का नाम : .....
6. माता का नाम : .....
7. पहचान के प्रमाण : .....
8. साम्प्रदायिक या आतंकी घटना में पीड़ित से संबंध : .....

(घ) घटना का विवरण :

1. घटना स्थल : .....
2. तिथि : .....
3. समय : .....
4. घटना का विवरण : .....
5. थ्ण्ण्त्ण नं० तथा तिथि: .....
6. पुलिस थाना क्षेत्र : .....

(ङ) शपथ :-

मैं शपथपूर्वक कहना हूँ कि सहायता राशि का उपयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण कार्य के लिए करूँगा और ऐसा नहीं करने की स्थिति में बिना सूचना के कभी कभी सहायता वापस ली जा सकती है।

लाभुक का हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण तथ्य :-

❖ यह जानकारी केवल जनजागरूकता के लिए दी जा रही है तथा कोई भी दावा प्रस्तुत करने से पूर्व मूल योजना द्रष्टव्य है।

सूचना एवं सहायता के लिए कहा संपर्क करें :-

❖ सभी तरह की जानकारी तथा मदद के लिए (मदद के तहत विहित प्रपत्र उपलब्ध करना, उसे भरने में मदद करना तथा उसे सक्षम अधिकारी के पास प्रस्तुत करना शामिल है।) निकटतम अनुमंडल विधिक सेवा समिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष / सचिव का मोबाइल नं० तथा अनुमंडल विधिक सेवा समिति के सचिव का मोबाइल नं० झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार के वेबसाइट www.jhalsa.org पर उपलब्ध है।

❖ हर तरह के सहायता के लिए कृपया सदस्य सचिव (मोबाइल - 08986601912) अथवा उपसचिव (मोबाइल - 09431387340), झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करें। झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार राँची का विस्तृत विवरण यह है :

पता-न्याय सदन, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा), महालेखाकार, कार्यालय के समीप, डोरण्डा, राँची-834002, फैक्स-0651-2482397, टेलीफोन - 0651-2482392, 2482030, 2481520, ई-मेल- jhalsaranchi@gmail.com

❑❑❑

प्रकाशन वर्ष : 2016